

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सुलतानपुर

पत्रांक- 3580 / 29-1

सुलतानपुर

दिनांक 27-02-2025

सेवा में,

वरिष्ठ विक्रय अधिकारी,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
प्लॉट नं०-1, नेहरू एन्क्लेव गोमतीनगर,
लखनऊ 226010

विषय:- जनपद सुलतानपुर के सुलतानपुर-बलिया मार्ग एस0एच0-34 के किमी0 164-165 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा सं०-46, ग्राम गोदलपुर, परगना अल्देऊ, तहसील जयसिंहपुर पर विकसित किए जा रहे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ द्वारा आनलाइन प्रपोजल नं०-एफ.पी./यू.पी./अदर/25175/2017 में आनलाइन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांकित 22-03-2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सुलतानपुर-बलिया मार्ग एस0एच0-34 के किमी0 164-165 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा सं०-46, ग्राम गोदलपुर, परगना अल्देऊ, तहसील जयसिंहपुर पर स्थापित किए जा रहे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों/पौधों के पातन की कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है-

क्र० सं०	धनराशि का मद	कुल क्षेत्र हे० में	दर प्रति हे० रू० में	कुल धनराशि रू० में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	0.075028	957780/-	71860.00	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	0.15	-	212179.00	आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा फण्ड में धनराशि जमा करें।	नई दिल्ली

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई-पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर (पत्र संलग्न है) एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अमित सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

जनपद सुलतानपुर के सुलतानपुर-बलिया मार्ग एस0एच0-34 के कि0मी0 164-165 के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा सं0-46, ग्राम-गोदलपुर परगना-अल्हेमऊ, तहसील-जयसिंहपुर पर विकसित किए जा रहे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि जयसिंहपुर रेंज के अर्न्तगत सुरौली वन ब्लॉक में 150 पौधों के वृक्षारोपण का विस्तृत प्राकलन ।

1. रेंज का नाम:-जयसिंहपुर
2. विकास खण्ड का नाम:-सुरौली वन ब्लॉक
3. क्षेत्रफल:-0.20 हे0
4. श्रमिक दर:- 237/- मानव विवर
5. भूमि का प्रकार:- सामान्य
6. रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या-150 पौध

प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु0 में)	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण व सीमांकन कार्य	प्रति हे0	0.20	56.05	11.21
2	स्थल सफाई	प्रति हे0	0.20	410.06	82.01
3	मृदा कार्य हेतु संरक्षण (गड़ड़ा/माउण्ड)	प्रति गड़ड़ा	0.20	0.35	0.07
4	मृदा कार्य (अ) गड़ड़ा खुदान (0.60 X0.60 X0.60)	प्रति गड़ड़ा	150	23.00	3450.00
5	ऊसर भूमि हेतु जिप्सम व बालू का क्रय व डुलान	प्रति गड़ड़ा	150	9.80	1470.00
6	तारबाड़ हेतु सामग्री (अ) आर0सी0खम्भों का मूल्य मय कर सहित	प्रति खम्भा	15	536.00	8040.00
	(ब) कौटेदार तार का मूल्य (200 रनिंग मी0 प्रति हे0 घेरबाड़ के आधार पर 5 लड़)	प्रति टन	0.025	112890.00	2822.25
7	अन्य व्यय	एक मुश्त	1	1100.00	1100.00
योग:-					16975.54
अथवा कुल योग:-					16976.00

(द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य)

क्र0सं0	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु0 में)	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	गड़ड़ों में कीटनाशक दवा, जिप्सम व बालू मिलाकर गड़ड़ा भरना (ऊसर भूमि)	प्रति गड़ड़ा	150	1.84	276.00
2	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	प्रति	155	70.00	10850.00
3	तारबाड़ कार्य (अ) आर0सी0खम्भों को ग्राउटी 6:3:1 सीमेन्ट कंक्रीट	प्रति	15	257.62	3864.30
	(ब) खम्भों का स्थानीय डुलान	प्रति	15	4.33	64.95
	(स) तार की खिचाई	प्रति मी0	150	1.12	168.00
4	पौध का डुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) (10-20 किमी0)	प्रति पौध	155	23.00	3565.00
5	पौधों का स्थानीय डुलान	प्रति पौध	150	7.80	1170.00
6	पौधरोपण थाला बनवाई व तुरन्त सिंचाई	प्रति पौध	150	6.44	966.00
7	निराई गुड़ाई व मल्विग निराई गुड़ाई 2 बार	प्रति	300	1.48	444.00
8	सिंचाई कार्य ऊसर भूमि हेतु 12 बार	प्रति	1800	1.36	2448.00
9	सुरक्षा हेतु बाघर	प्रति श्रमिक	234	237.00	55458.00
10	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	एक मुश्त	1.00	600.00	600.00
11	वृक्षारोपण बोर्ड	प्रति	एक	706.65	706.65
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	1100.00	1100.00
योग:-					81680.90
अथवा कुल योग:-					81681.00

(तृतीय चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य प्रथम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	सिंचाई विभागीय ट्रैक्टर व टैंकर द्वारा डीजल आदि के मूल्य सहित, 12 बार	प्रति पौध	1800	1.36	2448.00
2	निराई-गुड़ाई 3 बार	प्रति पौध	450	1.48	666.00
3	सुरक्षा हेतु वाचर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	एक मुश्त	1	600.00	600.00
5	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	1100.00	1100.00
योग:-					8369.00
अथवा कुल योग:-					8369.00

(चतुर्थ चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य द्वितीय वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	रोपित पौधों की निराई-गुड़ाई 2 बार	प्रति पौध	300	1.48	444.00
2	रोपित पौधों की सिंचाई 8 बार	प्रति पौध	1200	1.36	1632.00
3	सुरक्षा हेतु वाचर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	रासायनिक उर्वरक	एक मुश्त	1	660.00	660.00
5	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
6	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					7036.00
अथवा कुल योग:-					7036.00

(पंचम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य तृतीय वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	रोपित पौधों की निराई-गुड़ाई 1 बार	प्रति पौध	150	1.48	222.00
2	रोपित पौधों की सिंचाई 3 बार	प्रति पौध	450	1.36	612.00
4	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
5	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
6	रोपित पौधों की प्रूनिंग/छटाई	एक मुश्त	1	1087.00	1087.00
7	सुरक्षा हेतु वाचर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
8	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					6881.00
अथवा कुल योग:-					6881.00

(षष्ठम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य चतुर्थ वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाचर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(सप्तम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य पंचम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(अष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य षष्ठम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(अष्टम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य षष्ठम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(नवम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य सप्तम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(दशम चरण वृक्षारोपण अनुरक्षण कार्य अष्टम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	घनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(एकादश चरण वृक्षारोपण अनुसूचक कार्य नवम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

(द्वादश चरण वृक्षारोपण अनुसूचक कार्य दशम वर्ष)

क्र०सं०	कार्य का विवरण	इकाई	मात्रा	दर (रु० में)	धनराशि
1	2	3	4	5	7
1	तारबाड़ मरम्मत (अधिकतम 5 प्रतिशत)			85.00	85.00
2	प्रजातिवार, ऊचाईवार एवं गोलाईवार जीवित पौधों की गणना पंजिका का रख रखाव	एक मुश्त	1	660.00	660.00
3	सुरक्षा हेतु वाघर	प्रति श्रमिक	15	237.00	3555.00
4	अन्य प्रकीर्ण व्यय	एक मुश्त	1	660.00	660.00
योग:-					4960.00
अथवा कुल योग:-					4960.00

सारांश

क्र०सं०	विवरण	वर्तमान दर के अनुसार वांछित धनराशि	विवरण 10 महंगाई दर के आधार पर गुणांक	प्रयोज्यता एजेंसी से वांछित धनराशि (कॉलम 3x4)
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य	16976.00	1	16976.00
2	द्वितीय चरण वृक्षारोपण कार्य	81681.00	1.1	89849.10
3	तृतीय चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य प्रथम वर्ष	8369.00	1.21	10126.49
4	चतुर्थ चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य द्वितीय वर्ष	7036.00	1.331	9364.92
5	पंचम चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य तृतीय वर्ष	6881.00	1.4641	10074.47
6	षष्ठम चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य चतुर्थ वर्ष	4960.00	1.6105	7988.08
7	सप्तम चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य पंचम वर्ष	4960.00	1.7716	8787.14
8	अष्टम चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य षष्ठम वर्ष	4960.00	1.9488	9666.05
9	नवम चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य सप्तम वर्ष	4960.00	2.1437	10632.75
10	दशम चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य अष्टम वर्ष	4960.00	2.3581	11696.18
11	एकादश चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य नवम वर्ष	4960.00	2.5939	12865.74
12	द्वादश चरण वृक्षारोपण का अनुसूचक कार्य दशम वर्ष	4960.00	2.8533	14152.37
योग:-				212179.28
अथवा-				212179.00
(रु० दो लाख बारह हजार एक सौ उन्यासी मात्र)				


क्षेत्रीय वन अधिकारी
 जयसिंहपुर रेंज, सुलतानपुर


 प्रमाणीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
 सुलतानपुर, उ०प्र०।

चेक किया
 अपर सांख्यिकीय अधिकारी
 सा० वा० वन प्रभाग, सुलतानपुर

नेट प्रजेन्ट वैल्यू का आंकलन

सुलतानपुर जनपद के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का एक अदद डीजल/पेट्रोल का रिटेल आउटलेट सुलतानपुर कादीपुर मार्ग (एस0एस0-34) किमी0 164-165 के मध्य बांयी पटरी पर गाटा संख्या-46 स्थित ग्राम-गोदलपुर, तहसील-जयसिंहपुर, जनपद-सुलतानपुर में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा डीजल/पेट्रोल रिटेल आउटलेट श्री पुष्पेन्द्र कुमार प्रजापति पुत्र श्री ओम प्रकाश प्रजापति ग्राम-उमरी, पोस्ट-पौधन रामपुर, तहसील-कादीपुर, जिला-सुलतानपुर उ0प्र0 की डीलरशिप में स्थापना हेतु प्रभावित 0.075028 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु नेट प्रजेन्ट वैल्यू का आंकलन निम्न प्रकार है :-

क्र0सं0	नेट प्रजेन्ट वैल्यू का आंकलन	धनराशि
1	इको क्लास 3 के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र के आंकलन की धनराशि दर रू0 9,57,780.00 प्रति हे0 के अनुसार 0.075028 हे0 हेतु निर्धारित धनराशि।	71,860.00
	(इकहत्तर हजार आठ सौ साठ मात्र)	

(आनन्देश्वर प्रसाद)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
सुलतानपुर।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ



Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, पंचम तह, सेक्टर-II, अलिगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं०: 8वीं/सू०पी०/०६/७३/२०२१/एफ.सी./१७०

दिनांक: 22.03.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Others/25175/2017

विषय: जनपद सुल्तानपुर के सुल्तानपुर-बलिया मार्ग एस०एच०-३४ के किमी० १६४-१६५ के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा सं०-४६, ग्राम-गोदलपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जिला-सुल्तानपुर पर विकसित किए जा रहे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०७५०२८ हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०५ वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक २५४०/११-सी-FP/UP/Others/25175/2017, दिनांक ०९.०२.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक पी-२५६४/८१-२-२०२०-८००(४५)/२०२१, दिनांक ०२.०३.२०२१ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा (२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद सुल्तानपुर के सुल्तानपुर-बलिया मार्ग एस०एच०-३४ के किमी० १६४-१६५ के मध्य बांयी पटरी पर स्थित गाटा सं०-४६, ग्राम-गोदलपुर, परगना-अल्देमऊ, तहसील-जयसिंहपुर, जिला-सुल्तानपुर पर विकसित किए जा रहे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० के रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग के निर्माण हेतु ०.०७५०२८ हे० संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०५ वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 150 trees on 0.15 ha in Surauli Forest Block, Jaysinghpur Range, District Sultanpur at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.075028 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.
Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.
5. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

6. User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
7. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
8. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
9. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of Fuel Station.
10. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
11. Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.
12. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
13. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
14. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
15. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
16. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
17. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
18. The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सुल्तानपुर।
4. जिलाधिकारी, सुल्तानपुर।
5. वरिष्ठ विक्रेय अधिकारी, एच०पी०सी०एल०, प्लॉट नं०-1, नेहरू इक्लेव, गोमती नगर, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक-3073 /11-सी-FP/UP/Others/25175/2017-लखनऊ दिनांक: मार्च 27, 2023

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सुल्तानपुर को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन के क्रम में, प्रयोक्ता एजेन्सी से वांछित धनराशि, ई-पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न ई-चालान द्वारा जमा कराकर, सैद्धान्तिक स्वीकृति बिन्दुवार अनुपालन आख्या भारत सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराकर, इस कार्यालय के द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेखों तथा उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 14.06.2017 के अनुपालन के क्रम में, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोग हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के पूर्णतः अनुपालन की स्थिति प्राप्त किये जाने हेतु स्थलीय जाँच करते हुये सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र/उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र सहित सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि:- वरिष्ठ विक्रेय अधिकारी, एच०पी०सी०एल०, प्लॉट नं०-1, नेहरू इक्लेव गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये भारत सरकार के निर्देशानुसार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं सम्बन्धित अभिलेख प्रभागीय निदेशक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।